1.	2	3	4	5	6
4.	बिहार	7/96	11542	6079	17621
5.	गोवा	7/96	39	41	80
6.	गुजरात	7/96	600	600	1200
7.	हरियाणा	7/96	0	1263	1263
8.	हिमाचल प्रदेश	7/96	1172	0	1172
9.	जम्मू व कश्मीर	6/96	350	0	350
10.	कर्नाटक	7/96	2578	7836	10414
11.	केरल	6/96	839	226	1065
12.	मध्य प्रदेश	6/96	3855	5145	9000
13.	महाराष्ट्र	6/96	22	5978	6000
14.	मणीपुर	6/96	310	0	310
15.	मेघालय	7/96	530	0	530
16.	मिजोरम	6/96	12	228	240
17.	नागालैंड		124	0	124
18.	उड़ीसा	7/96	0	6000	6000
19.	पंजाब	7/96	522	0	522
20.	राजस्थान	7/96	4300	700	5000
21.	सिक्किम	7/96	0	200	200
22.	तमिलनाडु	6/96	366	2134	2500
23.	त्रिपुरा	6/96	232	853	1095
24.	उत्तर प्रदेश	6/96	9246	3707	12953
25.	पश्चिम बंगाल	7/96	0	4711	4711
26.	अण्ड०निको०द्वीप समूह		11	4	15
27.	दादर व नगर हवेली	5/96	0	33	33
28.	दमन व दीव		0	29	29
29.	दिल्ली	7/96	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	7/96	0	3	3
31.	पांडिचेरी	6/96	0	28	28
	कुल		38300	48890	87198

1985 की सूची में एन० श्रेणी के समस्याग्रस्त गांव शामिल हैं।

राज्य	लक्ष्य	कवरेज
असम	3	
गुजरात	9	
जम्मू व कश्मीर	30	
महाराष्ट्र	22	
मेघालय	46	
राजस्थान	10	
कुल	120	0

विद्युत उत्पादन और उसके प्रबंध तथा वितरण प्रणाली में सुधार

3811. **श्री मोहिंदर सिंह कल्याण:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत के बेहतर उपयोग के अलावा विद्युत संयंत्रों में संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देने और विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता और विद्युत की वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु बेहतर ग्रिड प्रबंध के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस०

वेणुगोपालाचारी): तकनीकी उन्नयनीकरण एक सतत् प्रक्रिया होने के नाते विद्युत मंत्रालय द्वारा औद्योगिक क्षेत्र समेत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में हाल ही में की गई कार्यवाहियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:—

(i) उद्योग, कृषि, वाणिज्य तथा घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा बचाने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाने संबंधी स्कीमों का कार्यान्वयन, जैसे कि ऊर्जा लेखा परीक्षा, विशिष्ट उप क्षेत्रों के लिए निदर्शन परियोजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार/कार्यशाला का आयोजना, जागरूकता अभियान, कृषि पंपसेटों का सुधार तथा रिमोट कंट्रोल्ड लोड मैनेजमेंट स्कीमें चलाना इत्यादि।

(ii) पारेषण व वितरण क्षतियों को कम करने की योजनाएं चलाने तथा केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की प्रचालनाधीन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के अलावा अधिष्ठापित क्षमता की अधिकतम समुपयोजन सुनिश्चित करना, थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले की समुचित गुणवत्ता व मात्रा की आपूर्ति की मानीटरिंग तथा विद्यमान विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयनी करण।

(iii) पारेषण व वितरण क्षतियों को कम करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमों का क्रियान्वयन करना जिसमें कैपेसिटर्स तथा मीटर के टेम्पर प्रूफ बाक्सों की अधिष्ठापना करना, भारतीय (विद्युत) अधिनियम, 1910 की धारा 39 के अधीन ऊर्जा की चोरी को संज्ञेय अपराध घोषित करने के अलावा विद्युत की चोरी पकड़ने के लिए सर्तकता दस्ते बनाना शामिल हैं। पारेषण व वितरण क्षतियों में कमी लाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को अभिप्रेत करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी बनाई गयी है।

(iv) देश में वितरण प्रणाली को सरल व कारगर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पावरग्रिड स्थापित करने हेतु कार्रवाई आरंभ करना जिसमें क्षेत्रिय ग्रिडों का अंतः संबंध शामिल है।

Monitoring Committees for Ministerial Discretion

3812. SHRI RAGHAVJI :
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENATION be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1909 given in the Rajya Sabha on the 1st August, 1996 and state:

(a) whether all the Ministries/Departments/Autonomous Bodies/Instrumentalities of Government of India like Kendriya Vidyalaya Sangathan have since formed monitoring committees and framed relevant guidelines for ministerial discretion or actions in relaxation of set rules;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAG): (a) Government have decided to abolish all discretionary quotas hitherto enjoyed by the Ministers in all the Ministries/Department. It has also been decided that in areas where it is considered absolutely necessary to make a small number of out-of-turn allotments, Ministries/Departments should formulate clear rules and guidelines and make arrangements for making out-of-turn allotments by a Committee specially set up for this purpose. No special dispensation admissions are being ordered from this calendar year in Kendriya Vidyalayas in view of the directives given by the High Court of Delhi in connection with a writ petition on 27.3.%.

(b) and (c) The necessary directives in the matter were issued on 18.7.96. Information regarding the formation of monitoring committees and framing relevant guidelines for ministerial discretion or actions in relaxation of set rules is being collected and will be laid on the Table of the House.